संख्या-51/2018/2396 ई-2/तेरह-2018-46/2017टी0सी0-III

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तुर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्तर,
उत्तरर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 03 जुलाई,2018

विषय:-वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति के अन्तर्गत थोक अनुज्ञापनों हेतु ऑनलाइन किये गये आवेदन से सम्बन्धित कतिपय आवेदकों द्वारा जमा की गई लाइसेंस फीस/तिभूति धनराशि को वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-40/दस-लाइसेंस-405/ऑनलाइन/आवेदन पत्र/फीस वापसी/2018, दिनांक 25 मई,2018 तथा पत्र संख्या-जी-54/दस-लाइसेंस-405/ऑनलाइन/आवेदन पत्र/फीस वापसी/2018, दिनांक 15 जून,2018 एवं इस सम्बन्ध में दि0 28 जून,2018 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक के कार्यवृत्त पत्र संख्या-2375 ई-2/तेरह-2018-46/2017 दिनांक 28 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में प्रेषित प्रस्ताव एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2018-19 के लिये थोक अनुज्ञापनों हेतु किये गये आवेदनों के सापेक्ष ऐसे आवेदकों जिनके द्वारा अनुज्ञापन निर्गमन से पूर्व ही आवेदन निरस्त कर जमा धनराशि की मांग की जा रही है, के संदर्भ में अन्तर्निहित धनराशियों में से प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0 की धनराशि काटकर (एफ0एल0-2डी के प्रकरणों को छोड़कर क्योंकि समुद्रपार से आयातित मदिरा के थोक अनुज्ञापन पर प्रोसेसिंग शुल्क व जी0एस0टी0 देय नहीं है) देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर के थोक अनुज्ञापनों तथा समुद्रपार से आयात्ति मदिरा के थोक अनुज्ञापन एफ0एल0-2डी की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि वापस कर दी जाय।

भवदीया,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in